झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन संख्या–3789 रॉंची, दिनांक–21/11/25

झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

केन्द्र सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। इस न्यायाधिकरण द्वारा शीघ्र विवाद निवारण हेतु न्यायिक तंत्र विकसित किया गया है जो भू–संपदा नियामक प्राधिकार एवं निर्णयन पदाधिकारी के द्वारा पारित निर्देश/आदेश के विरूद्ध दायर अपील की सुनवाई कर सकेगा।

2. उपरोक्त के क्रम में झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	अहर्त्ताएँ
1	सदस्य (तकनीकी)	01	A Technical Member, is a person who is well-versed in the field of Urban Development, Housing, Real Estate Development, Infrastructure, Economics, Planning, Law, Commerce, Accountancy, Industry Management, Public Affairs or Administration and possesses experience of a least 20 years in the field or who has held the post in Central Government, or State Government equivalent to the post of Additional Secretary to the Government of India or an equivalent post in the Central Government or an equivalent post in the State Government.

3. सदस्यों की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले होगा, के लिए होगी तथा पुनर्नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

4. भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के वेतन, अन्य अनुमान्य भत्ते एवं सेवा शर्तें भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

5. झारखंड भू–संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं समर्पित करने के लिए विहित प्रपत्रः–

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x

(38)

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है। मुझे ऐसी कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के कुशल संचालन हेतु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्त्तों का पालन करूँगा।

स्थानः-.........................

दिनांक-.........................

हस्ताक्षर

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित विभागीय वेबसाईट-www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार, राँची के वेबसाईट-www.jharera.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

21.11.25

(ज्योत्सना सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 3789 राँची, दिनांक- 21/11/25

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India/The Hindustan Times अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21.11.25

सरकार के अपर सचिव